राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 अम्बेडकर नगर से बांदा के उन्नयन तथा पुनर्वास हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई के प्रस्तुतिकरण हेतु दिनांक 02.12.2011 को कलेक्ट्रेट सभागार, सुल्तानपुर में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 अम्बेडकर नगर से बांदा के सुधार एवं निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित परियोजना एन0एच0 232 अम्बेडकरनगर के टांडा पर किमी0 0.000 से प्रारम्भ होकर बांदा के किमी0 289.600 पर समाप्त होगी। परियोजना की कुल लम्बाई 289.600 किमी0 है। परियोजना की कुल लागत 1459.30 करोड़ है। इसमें जनपद **सुल्तानपुर** के अन्तर्गत किमी0 36.000 से किमी0 78.000 तक का भाग पड़ता है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुपालन में परियोजना के निस्तारण से पूर्व लोक सुनवाई किया जाना अनिवार्य है जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, **सुल्तानपुर** महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के पैनल का गठन किया गया :–

1. मुख्य राजस्व अधिकारी, **सुल्तानपुर**
2. महाप्रबंधक जिला उद्योग केंन्द्र, **सुल्तानपुर**
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में स्थानीय स्तर पर दैनिक समाचार पत्र **''दैनिक जागरण** में दि0 02.11.2011'' (लखनऊ संस्करण) में लोक सुनवाई की तिथि 02.12.2011 समय अपरान्ह 02:00 बजे स्थान **कलेक्ट्रेट सभागार, सुल्तानपुर** में आयोजित किए जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। इसी क्रम में निर्धारित तिथि 02.12.2011 को अपरान्ह 02:00 बजे निर्धारित स्थान पर श्री एस0 डी0 पाण्डेय, मुख्य राजस्व अधिकारी, **सुल्तानपुर** की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के प्रतिनिधि श्री बी0के0 अस्थाना, सहायक पर्यावरण अभियन्ता की उपस्थिति में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। बैठक का उपस्थिति विवरण संलग्न है। लोक सुनवाई का कार्यवृत्त निम्नवत है:–

लोक सुनवाई प्रारम्भ करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रायबरेली के प्रबंधक (तक0) श्री बी0पी0 पाठक द्वारा बैठक में उपस्थित मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के प्रतिनिधि एवं अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी। इस क्रम में सहायक पर्यावरण अभियन्ता, कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली द्वारा लोक सुनवाई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं अन्य समस्तजनों से परियोजना के संबंध में अपने प्रश्न/संशय/आपत्तियॉ/सुझाव मौखिक अथवा लिखित रुप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

बैठक के प्रारम्भ में राजमार्ग की सलाहकार संस्था मेसर्स मॉट मैक डोनाल्ड के परियोजना प्रबंधक श्री सुधांशु कुमार, द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के संबंध में परियोजना से सबंधित संक्षिप्त जानकारी उपस्थित सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई। तदोपरान्त संस्था के समन्वयक श्री परितोष सिंह द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे परियोजना का विवरण, परियोजना की पृष्ठभूमि, परियोजना का मानचित्र, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना की आवश्यकता, प्रस्तावित मार्ग पर यातायात की पूर्वानुमानित मांग, प्रस्तावित परियोजना का यातायात सर्वे, टिपिकल क्रास सेक्सन, प्रस्तावित मार्ग में प्रस्तावित सुधार, भू–अर्जन एवं वृक्षों का पातन का पूर्ण विवरण, पृष्ठ जल गुणवत्ता, भूमिगत जल गुणवत्ता, परिवेशीय वायु गुणवत्ता, अध्ययन क्षेत्र की मृदा गुणवत्ता, परिवेशीय ध्वनि के स्तर, तथा इनकी मॉनिटरिंग के संबंध में विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ पर्यावरण संचालन एवं प्रबंधन लागत, परियोजना प्रभाव एवं न्यूनीकरण उपाय के संबंध में भी चर्चा की गयी। तदपश्चात बैठक में उपस्थित

जनप्रतिनिधिगण एवं सामान्यजनों ने अपने प्रश्न/संशय/आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत किए, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

1. श्री दीपू बाजपेई निवासी, सुल्तानपुर सदर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि प्रस्तावित राजमार्ग पर जनपद, सुल्तानपुर में कुल कितने पेड़ कटेंगे तथा कितने पेड़ लगाए जाएंगे ? इस संबंध में भा०रा०रा०प्रा०, रायबरेली के प्रबंधक, तक0 द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद सुल्तानपुर में लगभग 3500 वृक्ष काटे जाएंगे तथा इनके स्थान पर दुगुने पेड़ लगाए जाएंगे।
2. श्री राम सुन्दर यादव, ग्राम प्रधान कटका द्वारा यह अवगत कराया गया कि गोमती नदी के उत्तर की तरफ टाटियानगर चौराहा जो राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को क्रास करते हैं आज तक लगभग 500 लोगों की जान जा चुकी है उक्त स्थल पर गोल चक्कर बनाए जाने की अति आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त पुलिस चौकी, द्वारिकागंज पर गोल चक्कर नहीं बना है जिससे आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं ? इस संबंध में भा०रा०रा०प्रा०, रायबरेली के प्रबंधक, तक0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सुझावों के बारे में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
3. श्री फेंकू यादव, ग्राम प्रधान, डीह ठग्गूपुर द्वारा यह सुझाव दिया गया कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जहां पर आम का पेड़ काटा जाता है वहॉ पर आम का ही पेड़ लगाया जाए। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के संरक्षण हेतु आम, महुआ, नीम, जामुन, पीपल, बरगद व पाकड़ का पेड़ लगाया जाए तथा जो भी एजेंसी सरकारी अथवा गैर सरकारी वृक्षारोपण करे, जमीन का मृदा परीक्षण कराकर ही पेड़ों लगाना सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में भा०रा०रा०प्रा०, रायबरेली के प्रबंधक, तक0 द्वारा अवगत कराया गया कि भा०रा०रा०प्रा० द्वारा वन विभाग के आंकलन के अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है तथा पेड़ों को वन विभाग द्वारा ही लगाया जाता है।
4. श्री आशीष कुमार, ग्रा0 पीढ़ी द्वारा यह जानकारी चाही गई कि यह राजमार्ग सुल्तानपुर में कहां से शुरू होगा तथा कहॉ पर खत्म होगा, इस राजमार्ग में सरकार लगभग और कितनी जगह लेगी तथा सड़क के निर्माण में रोड के किनारे जो हैण्डपम्प आते हैं तो सरकार उनके बारे में क्या उपाय करेगी ? इस संबंध में सलाहकार संस्था के परियोजना प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि यह राजमार्ग जनपद सुल्तानपुर में मार्ग के चैनेज किमी0 36.000 पर ग्राम हालापुर (अम्बेडकरनगर–सुल्तानपुर रोड) से आरम्भ होकर किमी0 78.000 पर ग्राम मनियारपुर (सुल्तानपुर–रायबरेली रोड) पर समाप्त होगा। इसके अतिरिक्त मार्ग की अधिकारिक चौड़ाई (ROW) के अनुसार लगभग 23.00 मी0 भूमि का लिया जाना प्रस्तवित है। हैण्डपम्प के संबंध में भा०रा०रा०प्रा०, रायबरेली के प्रबंधक, तक0 द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग निर्माण के फलस्वरूप विस्थापित किए गये हैण्डपम्पों को उचित स्थान पर पुनः स्थापित कराया जाएगा।
5. श्री शिव प्रताप यादव, कटका खानपुर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि कटका खानपुर बाजार में गोले से कितनी दूरी पर पक्की नाली का निर्माण किया जाएगा, नाली एक तरफ बनेगी या दोनों तरफ तथा स्कूल के पास राजमार्ग द्वारा क्या प्रस्ताव है, इसके अतिरिक्त क्या उपरोक्त सड़क के निर्माण के बाद घनी आबादी स्थल पर ब्रेकर बनाया जाएगा ? इस संबंध में सलाहकार संस्था के परियोजना प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि आबादी के क्षेत्रों में राजमार्ग के दोनों तरफ पक्की नाली का निर्माण कराया जाएगा। स्कूल के निकट राजमार्ग पर आवश्यक साईन बोर्ड स्थापित किए जाएंगे तथा घनी आबादी के निकट आवश्यकतानुसार स्पीड ब्रेकर के प्राविधान पर विचार किया जाएगा।
6. श्री रिजवान अहमद निवासी, सलारपुर, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि निर्धारित सीमा के अन्दर आने वाले आवासों तथा प्रतिष्ठानों का मुआवजा किस अनुपात में दिया जाएगा? इस संबंध में भा०रा०रा०प्रा०, रायबरेली के प्रबंधक, तक0 द्वारा अवगत कराया गया कि यदि किसी आवास/प्रतिष्ठान को राजमार्ग के निर्माण के कारण भूमि अधिग्रहीत की जाती है तो निर्धारित सर्किल रेट एवं आंकलन के अनुसार उचित मुआवजा दिए जाने का प्राविधान है।
7. श्री हितेश निवासी ग्राम सेमरी द्वारा यह जानकारी चाही गई कि क्या प्रस्तावित राजमार्ग के किनारे पर यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रीसेड इत्यादि का निर्माण कराया जाएगा, इसके अतिरिक्त ग्राम सेमरी में सॅकरी रास्ता है, हाईवे के लिए चौड़ाई कैसे प्राप्त करेंगे ? इस संबंध में सलाहकार संस्था के परियोजना प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसों एवं ट्रकों के ठहराव हेतु आवश्यक प्राविधान किए गये हैं। इसके अतिरिक्त अम्बेडकरनगर–सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित ग्राम सेमरी में सॅकरे रास्ते को देखते हुए री–एलाइनमेन्ट प्रस्तावित किया गया है।

8. श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय, ग्राम पीढ़ी, सुल्तानपुर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि निर्माण कार्य के दौरान धूल तथा शोर के दमन के लिए क्या–क्या उपाय किए जाएंगे ? इस संबंध में सलाहकार संस्था के समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि धूल दमन हेतु स्टेकिंग यार्डों को ढका जाएगा तथा धूल को दबाने के लिए आवश्यक पानी का छिड़काव किया जाएगा तथा ध्वनि के स्तर का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।

9. श्री नसीम प्रधान, ग्राम जनकेपुर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि रोड की चौड़ाई कितनी होगी, रोड के किनारे बने मकान व दुकान पर क्या मुआवजा देय होगा, गॉव के समीप बच्चे या जानवर कैसे क्रास करेंगे तथा पानी सड़क के किनारे कैसे निकलेगा ? इस संबंध में भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली के प्रबंधक, तक0 द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग की लेपित सतह की चौड़ाई 10.00 मी0 रखी जाएगी, रोड के किनारे बने मकान व दुकान की भूमि अधिग्रहीत किए जाने पर निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा, गॉव के समीप सावधानी सूचक डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किए जाएंगे परन्तु बच्चों एवं जानवरों को क्रास कराने हेतु उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आबादी वाले क्षेत्र में पानी की निकासी हेतु पक्की नाली का प्राविधान किया गया है।

10. श्री रामसुन्दर यादव, ग्राम प्रधान, कटका खानपुर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच गोले से कितनी चौड़ाई पर कटका खानपुर बाजार में आवासीय निर्माण किया जा सकता है, राजमार्ग में आने वाले आवासीय आबाद लोगों का क्या मकान प्रभावित हो रहा है तो संख्या कितने मकानों की है, राजमार्ग में आने वाले मकान/जमीन के मुआवजे का क्या मानक रखा गया है, क्या मुआवजा निर्माण के पूर्व में दिया जाएगा तथा यदि कटका खानपुर में कोई नया निर्माण कराना चाहता है तो बीच गोले से कितनी दूरी लेनी चाहिए तथा किसकी अनुमति की जरूरत पड़ेगी ? इस संबंध में सलाहकार संस्था के परियोजना प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग की आधिकारिक चौड़ाई के आधार पर मकानों का निर्माण कराया जा सकता है। मार्ग में आने वाले मकान व जमीन का मुआवजा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार किया जाएगा तथा मार्ग निर्माण से पूर्व ही मुआवजा दिए जाने का प्राविधान है।

11. श्री भवानी प्रसाद निवासी कटका खानपुर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि कटका खानपुर से वाराणसी–लखनऊ राजमार्ग तक एन0एच0 232 की बीच गोले से चौड़ाई क्या होगी तथा कटका खानपुर से महरूआ तक बीच गोले से सीमा क्या होगी ? इस संबंध में सलाहकार संस्था के परियोजना प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि कटका खानपुर से वाराणसी–लखनऊ राजमार्ग के बीच का भाग एन0एच0 96 व एन0एच0 56 के बीच पड़ता है जहॉ पर पूर्व से ही मार्ग की लेपित सतह 10.00 मीटर है। अतः वहॉ पर मात्र मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

12. श्री प्रकाश चन्द्र शुक्ला, जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व, सुल्तानपुर द्वारा यह अवगत कराया गया कि लखनऊ–वाराणसी मार्ग पर लोहरामऊ बाजार व पयागीपुर के मध्य कमलाकर इण्टरमीडिएट कालेज, लोहरामऊ के सामने मार्ग पर काफी दुर्घटनाएं होती हैं अतः गोल चक्कर बनाया जाए ? इस संबंध में भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली के प्रबंधक, तक0 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सुझाव को संबंधित संस्था को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा।

इसके उपरान्त मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना को विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया तथा इस परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में चहुमुखी विकास होगा, क्षेत्र में खुशहाली आएगी तथा की जाने वाली यात्राओं की समयावधि में कमी होगी एवं यात्रा सुखद एवं सुरक्षित होगी। साथ ही साथ मुख्य राजस्व द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि स्थानीय जनता को मार्ग के निर्माण के पश्चात् स्वयं सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा भा0रा0रा0प्रा0 की कार्य प्रणाली की सराहना भी की गई।

बैठक के अन्त में प्रबन्धक (तक0), भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाई को सफल मानते हुए लोगों की जागरूकता पर प्रसन्नता एवं संतोष व्यक्त किया गया तथा बैठक में उपस्थित मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर व अन्य उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का आभार भी व्यक्त किया गया।

उपरोक्त सुझावों, विचारों, टिप्पणियों तथा आपत्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई मुद्दा लोक सुनवाई के दौरान नहीं उठाया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट से अभिव्यक्त है कि प्रस्तावित राजमार्ग के निर्माण से किसी प्रकार की पर्यावरणीय क्षति नहीं होगी तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का उल्लंघन नहीं होगा।

उपरोक्त लोक सुनवाई में आए सुझाव एवं उनके निराकरण हेतु किए गये समाधान तथा भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में समावेशित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए सैद्धान्तिक रूप से पर्यावरणीय दृष्टिकोण एवं जन तथा राष्ट्रहित में उक्त प्रस्ताव के कियान्वयन हेतु लोक सुनवाई समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित राजमार्ग सं0 232 (अम्बेडकरनगर से बांदा) के सुधार एवं निर्माण हेतु प्रथम दृष्ट्या उपयुक्त होने का अनुमोदन करते हुए अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने की संस्तुति की जाती है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सुल्तानपुर	मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर

****

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 232 (अम्बेडकर नगर – बांदा) के निर्माण हेतु

पर्यावरणीय स्वीकृति एवं लोक सुनवाई में उपस्थिति

दि0: 02.12.2011 स्थान : कलेक्ट्रेट सभागार, सुल्तानपुर समय : अपरान्ह 02.00

कमांक	नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री एस० डी० पाण्डेय	मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर	9451400827	[signature]
2.	श्री वी० के० अस्थाना (सहायक पर्यावरण अभियन्ता)	क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - रायबरेली	9450568544	[signature]
3.	श्री डी० पी० तिवारी	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सुल्तानपुर		
4.	श्री के कु यादव	प्रधान [illegible]		
5.	श्री वी० पी० पाठक	प्रबंधक (तक०), भा०रा०रा०प्रा०, प० का० इ० - रायबरेली	9415175738	[signature]
6.	श्री मोहम्मद खालिद	प्रबंधक (तक०), भा०रा०रा०प्रा०, प० का० इ० - रायबरेली	9412326465	Mohd
7.	श्री सुधांशु कुमार	परियोजना प्रबंधक, मॉट मैक डोनाल्ड प्रा० लि०	9311008651	[signature]
8.	श्री विपिन बिहारी पाण्डेय	ओमनगर सुल्तानपुर	9721166299	[signature]
9.	श्री नसीम प्रधान	ग्राम - कनकेपुर		नसीम
10.	श्री भवानी प्रसाद यादव	करेवा [illegible]		भवानी प्रसा
11.	श्री राम सुन्दर यादव	ग्राम - प्रधान - करका खानपुर	9415961206	[signature]
12.	श्री शिव प्रताप यादव	ग्राम [illegible]	9628207682	[signature]
13.	श्री मनीराम कोरी	ग्राम [illegible]	9670946253	मनीराम
14.	श्री डी० पी० मिश्रा एडवोकेट	ग्राम गड़ौरा पो० मोतीगरपुर [illegible]	9559862755	[signature]
15.	श्री तेजबहादुर मिश्रा	गाँव द्वारिका का [illegible] पुर	9452050794	[signature]
16.	श्री आशीष कुमार	ग्राम - पीढ़ी सुल्तानपुर	8115574493	Ashish
17.	श्री हितेश	ग्राम - सैमरी (सुल्तानपुर)	8922089283	Hitesh

क्रमांक	नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
18.	श्री दीपू बाजपेयी	सुल्तानपुर सदर	9839737155	[signature]
19.	श्री देवी प्रसाद	[illegible]	8858469203	[signature]
20.	श्री [illegible]	[illegible] सुल्तानपुर	9454265358	[signature]
21.	श्री भानुप्रकाश सिंह	ग्राम असवा पो० [illegible]	9695453962	[signature]
22.	श्री मदनमोहन ओझा	पयागीपुर सुल्तानपुर	9455404815	[signature]
23.	श्री राकेश दत्त ओझा	पयागीपुर - सुल्तानपुर	"	[signature]
24.	श्री [illegible]	कलेक्ट्रेट [illegible]	9451297241	[signature]
25.	श्री डी०पी०तिवारी	[illegible]	9415502980	[signature]
26.	श्री मंगला प्रसाद	एडवोकेट सुल्तानपुर	7376155795	[signature]
27.	श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय	पीढ़ी, सुल्तानपुर	9415373142	[signature]
28.	श्री [illegible] अहमद	प्रधान [illegible]	9453623576	[signature]
29.	श्री महादेव प्रसाद	[illegible]		[signature]
30.	श्री आशाराम एडवोकेट	कलेक्ट्रेट सुल्तानपुर	919804437[illegible]	[signature]
31.	श्री [illegible]	[illegible]	[illegible]	[signature]
32.	श्री [illegible]	[illegible] सुल्तानपुर	9889117082	[signature]
33.	श्री Sailendra	सेमरी	-	[signature]
34.	श्री पवन पाण्डेय	सेमरी	9196692895	[signature]
35.	श्री पप्पू गुप्ता	सुल्तानपुर	8869992257	पप्पू गुप्ता
36.	श्री [illegible] अहमद	सेमरी	9332117169	[signature]
37.	श्री रिज़वान [illegible]	[illegible] (सुल्तानपुर)	9415960620	[signature]

कमांक	नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
38.	श्री [illegible]	सोनारा सुलतानपुर	9005296595	[illegible]
39.	श्री [illegible]	सोनारा सुलतानपुर	9793929553	[illegible]
40.	श्री [illegible] सिद्दीकी	[illegible]	9838816594	MAhddy
41.	श्री गौरी शंकर त्रिवेदी	कटका मोड़, सुलतानपुर		गौरीशंकर
42.	श्री Abdul Rahmani Khan	[illegible] कटका	9454931121	[illegible]
43.	श्री [illegible]	[illegible]	9889429667	[illegible]
44.	[illegible]	[illegible]	9453512993	[illegible]
45.	[illegible]	सुलतानपुर सिहो	9956080286	[illegible]
46.	मो [illegible]	[illegible]	सुलतानपुर	[illegible]
47.	नन्हे	सुलतानपुर सिठो	सुलतानपुर	नन्हे
48.	रामयज्ञ	सुलतानपुर बैसठो	सुलतानपुर	रामयज्ञ
49.	रामगनेश	सुलतानपुर	– –	रामगनेश
50.	मुकुल [illegible]	Luckn	9935093082	[illegible]
51.	रमा शंकर [illegible]	कटका [illegible]	9450245698	[illegible]
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				